

प्रेषक

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

देहरादून: दिनांक 08 अक्टूबर 2014

विषय:- प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) का विद्यमान होना आवश्यक है। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज वेहिकल के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का घयन किया गया है। उक्त परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (प्रति संलग्न) को हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाएं लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर कंबिल विद्यमान होने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाले भूमि की खूदा से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को दूर करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट की इन्वीजमेंटेशन में शामिल है, को प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से परियोजनायुद्धि में पुनः अनुमति न लेनी पड़े, इस हेतु ब्लैंकट अप्रूवल एतद्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत ऑप्टिकल फाइबर कंबिल (OFC) विद्यमान हेतु निःशुल्क अनुमति एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई भी रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त समझौता ज्ञापन के प्रस्तर- 5.2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर कंबिल विद्यमान होने के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भाँति किया जायेगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल स्थिति में लौटाई जाए। सड़क की कटाव को ठीक करने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा।

को पार करने के लिए एचडीओ अथवा होल्डिंग्स बोर्ड का प्रयोग किया जाये। ताकि सड़क को होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूंकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कमानियों तथा एजेंसियों द्वारा राइट ऑफ वे (ROW) चार्जज अधिरोपित नहीं किये जायेंगे। इस परियोजना में राज्य सरकार का अंशदान माना जायेगा।

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों द्वारा गतिरण लाइनों/पारेषण लाइनों/उप पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना से सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना/उपकरणों को रखने के लिए यथाआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स के लिए अनुमति होगी।

(7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विवाद, सफल एवं सुचारु रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी:-

1- जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
2- मुख्य विकास अधिकारी-	सदस्य सचिव
3- अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग-	सदस्य
4- अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-	सदस्य
5- अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विद्युत विभाग-	सदस्य
6- अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग-	सदस्य
7- अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, पेयजल विभाग-	सदस्य
8- प्रभागीय वनाधिकारी-	सदस्य
9- जिलापंचायतीराज अधिकारी-	सदस्य
10- सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी / नगर अधिकारी-	सदस्य
11- अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित-	सदस्य
संलग्नक:- यथोक्त।	सदस्य

भारत
(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव